

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 🕹 ५९८/अकादमी/संबद्धता/ निरंतरता/ प्रबंध संकाय/२०१९ (स्पीड-पोस्ट)

भोपाल, दिनांक 17/6(19

PRINCIPAL/DIRECTOR

कालेज कोड-549/37

SAGAR INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (SISTEC) NEAR AIRPORT, JAIPUR ROAD, PIPALNER GANDHI NAGAR BHOPAL-462036

विषयः- अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2019-20.

रान्दर्भः-(1)अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का पत्र क्रं:1-4255787534[2019]हिन्स

दिवांकः 10-4-2019

महोदय.

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक:30-04-2019 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में रांचालित निम्नांकित पाठयकर्मों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

01	course MBA I,II	Brnch FULLTIME	Status TEMPORARY	Seats 120
the state of the s				

आगामी सत्र २०२०-२१ की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।

विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चत

महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।

शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2019 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रवंधन का होगा।

7. संवंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई किमयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में रावद्धता शुक्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यकर्मों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव वहीं होगा।

किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

्र ५१९९ पृ०कमांक अकादमी/संबंद्धता/२०१९

प्रतिलिपि:~

संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल ।

सविव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली ।

उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।

कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ । 4.

वेवसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 17/6/19 रवश्वविद्यालय



चिव, अकादमी